उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या-903/पांच-9-2021-6(74)–94–टी०सी०।।

लखनऊ, 2 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 106/5-9-2017-6.(74)-94-टी0सी0, दिनांक 9 मई, 2017 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 3020/5-9-2007-6(74)-94-टी0सी0, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, श्री विपिन कुमार-I, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्थान पर श्री अतुल सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती हैं।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद,

अपर मुख्य सचिव।